(ix) An action plan has been drawn up by the Delhi Administration after identifying the Najafgarh drain basin as a critically polluted area.

Forest Coverage in Andhra Pradesh

3338. SHRI NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the percentage of Forest coverage in Andhra Pradesh;

(b) what should be the norm;

(c) what is the national average; and

(d) what measures are contemplated to increase forest coverage in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) As per the State of Forest Report 1991 the percentage of forest cover to the geographical area in Andhra Pradesh is 17.2%.

(b) National Forest Policy 1988 envisages that atleast 33% of the land area of the country should be under forest/tree cover.

(c) The actual forest cover in the country is 19.44% of the total geographical area.

(d) A massive programme of afforestation including social and Farm Forestry under 20 Point Programme is under implementation in the State of Andhra Pradesh. During the Seventh Five Year Plan an area of 7,27,529.5 ha. was brought under afforestation in the State of Andhra Pradesh.

औद्योगिक नगरों में वायु-प्रदूषण

3339. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक नगरों में वायु-प्रदूषण बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देश के आठ प्रमुख नगरों में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि इन नगरों में मुख्य रूप से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।

(घ) जिन उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित नहीं किये हैं, उनसे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव, उत्सर्जन और परिवेशी शोर मानक निर्धारित किये गए हैं;

(2) उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी संबंधी अपेक्षाओं का पालन करें, ताकि बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जा सके;

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निदेश दिये गये हैं कि वे निर्धारित मानकों का एक समय-सीमा के भीतर अनुपालन कराने हेतु निगरानी रखे। दोषी इकाइयों के विरुद्ध अधिनियम के उपबन्धों के तहत कार्रवाई की जाती है; और

(4) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों में आने वाले बड़े और मझौले उद्योगों के लिए एक कार्य-योजना तैयार की गई है।

Bringing Environment and Forest in the State List

3340. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of States have urged the Central Government to delete environment and forests from concurrent list; and

(b) whether Government propose to